-1-

145

GF-R 15/-92

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश, ग्वालियर

प्र0क्र0 /2000 पुनरीक्षण

R- 11212 - III/2000

1- मुरारीलाल
2- श्यामलाल
3- राधेश्याम
4- सीताराम
5- देवीशंकर

पुत्रगण नन्दालाल निवासीगण नयागांव

6- रामप्रसादी पुत्री नन्दालाल पत्नी मदनलाल निवासी ग्राम बारेलारीमा (राजस्थान)

-------- आवेदकगण

श्री ... द्वारा आज दि. 3/7/2000 को प्रस्तुत।
सचिव राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर
3 JUL 2000

विरुद्ध

मुस0 कन्या पुत्री मोतीलाल पत्नी नागाराम मीना निवासी ग्राम कुन्धरा तहसील एवं जिला श्योपुरकलां

-------- अनावेदक

अपर आयुक्त चम्बल संभाग द्वारा प्रकरण क्रमांक 203/92-93 अपील में पारित आदेश दिनांक 30-5-2000 के विरुद्ध पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959.

3-6-2000

महोदय,

आवेदकगण निम्नलिखित आधारों पर पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करते हैं :-

(1) यह कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों के विवादित आदेश अवैध, अनियमित तथा अनुचित होकर निरस्त किये जाने योग्य हैं।

(2) यह कि प्रकरण में विवादित खाते का स्वामी मूलचन्द था जिसने अपनी आधी सम्पत्ति की वसीयत आवेदकगण के हित में की थी। आवेदकगण मृतक की बहन जमी के पुत्र एवं पुत्री हैं। आवेदकगण के हित में की

---- 2

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – निग0 1142–तीन/2000 जिला – श्योपुरकलां

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16.11.16	यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 203/92–93/अपील में पारित आदेश दिनांक 30–5–2000 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है । 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकरण हैं कि अनावेदक द्वारा विचारण न्यायालय में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–7–85 के अनुसार कार्यवाही किए जाने हेतु आवेदन पेश किया गया । उक्त आवेदन पर से प्रकरण पंजीबद्ध कर विचारण न्यायालय ने इश्तहार जारी किया एवं दोनों पक्षों को सुनने तथा अभिलेख का अवलोकन करने के उपरांत आदेश दिनांक 28–7–86 द्वारा मृतक भूमिस्वामी के स्थान पर 1/2 भाग पर आवेदकगण का नाम तथा शेष 1/2 भाग पर अनावेदक का नामांतरण स्वीकार किया गया । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश की जिसमें अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश पारित करते हुए सम्पूर्ण भाग पर अनाावेदक का नामांतरण स्वीकार किया गया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदकों ने अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश की जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा स्वीकार की है । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है । 3/ आवेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	यह तर्क दिया गया है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों के आदेश विधिसम्मत नहीं हैं । विचारण न्यायालय द्वारा विधिसम्मत आदेश पारित किया गया है । वसीयत सिद्ध होने के उपरांत भी अपीलीय न्यायालयों ने नामांतरण निरस्त करने में त्रुटि की है । अनावेदक की ओर से प्रस्तुत व्यवहार वाद निरस्त किया जा चुका है अर्थात वसीयत को मान्यता दी जा चुका है, परंतु इस ओर अपीलीय न्यायालयों ने ध्यान न देकर त्रुटि की है । यह भी तर्क दिया गया कि अधीनस्थ न्यायालय का यह निष्कर्ष विधिसम्मत नहीं है कि पूर्व में वसीयत पेश न होने से प्रत्यावर्तन के उपरांत उस पर विचार नहीं किा जा सकता । आवेदकों का प्रारंभ से कथन रहा है कि मृतक की आधी भूमि पर उन्हें वसीयत के आधार पर स्वत्व प्राप्त होते हैं । उक्त आधारों पर आवेदक अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है । 4/ अनावेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताते हुए निगरानी निरसत किए जाने का अनुरोध किया गया है । 5 उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का तथा आलोच्य आदेश का अवलोकन किया गया । इस प्रकरण में यह स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया था कि वे पक्षकारों को सूचना देने के उपरांत केवल उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत ही जांच करके आदेश पारित किया जाये परंतु विचारण	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – निग0 1142–तीन/2000 जिला – श्योपुरकलां

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	न्यायालय ने वसीयत के आधार पर आवेदकों का विवादित भूमि के 1/2 भाग पर नामांतरण स्वीकार किया गया है जबकि वसीयत का कोई उल्लेख आवेदकों द्वारा पूर्व में विचारण नयायालय के समक्ष नहीं किया गया । अतः इस प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी ने हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 की श्रेणी 2–घ के अनुसार अनावेदक को मृतक भूमिस्वामी की सगी बहिन होने के कारण एक मात्र वारिस मानकर नामांतरण करने का जो आदेश दिया है वह उचित और विधिसम्मत है और उसे स्थिर रखने में अपर आयुक्त ने कोई त्रुटि नहीं की है । अतः इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है । परिणामतः यह निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है । उभयपक्ष सूचित हों एवं अभिलेख वापिस हो । सदस्य	